

## भारतीय संविधान में राज्यसभा की संरचना

शशिकान्त राव

एम.ए.राजीनति विज्ञान

इलाहाबाद विश्वविद्यालय इलाहाबाद

भारतीय संसद के 'उच्च सदन' के रूप में राज्य सभा का महत्व 'एक संरक्षक' के रूप में स्पष्ट है। कई बार यह सदन 'लोकसभा' के साथ संसदीय मर्यादाओं की संरक्षा में निहित संवैधानिक प्रावधानों के आधार अपने दायित्वों का निर्वहन करता है। राज्यसभा प्रत्यक्ष रूप से जन प्रतिनिधित्व वाला सदन नहीं है किन्तु भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त दायित्वों के कारण संसद का यह सदन प्रभावी भूमिका में दिखता है।

इस स्थिति का अनुचित प्रयोग कर विपक्ष बेवहज मुद्दों को उठाकर लगातार सरकार के कामकाज में अवरोध उत्पन्न कर रहा है। संवैधानिक विशेषज्ञों ने वर्तमान संसदीय गतिरोध को 'लोकतन्त्र या गला घोटने' तक की संज्ञा दी है। यह चर्चा भी उठने लगी है कि आखिर राज्यसभा का कार्य सरकार के कार्य संचालन में सहयोग करना है या अवरोध उत्पन्न करना है इस परिस्थिति में यह जानना आवश्यक प्रतीत हो जाता है कि राज्यसभा क्या है, इसकी संरचना, प्रदत्त अधिकार, दायित्व एवं औचित्य क्या है?

### संरचना

भारतीय संविधान के द्वारा भारत में संसदीय शासन प्रणाली की स्थापना की गई है। भारतीय संविधान में द्विसदनीय संसदीय व्यवस्था का प्रावधान किया गया है, जिसमें राज्यसभा को 'उच्च सदन' एवं लोकसभा को 'निम्न सदन' कहा जाता है। भारतीय संसद राष्ट्रपति, राज्यसभा एवं लोकसभा से मिलकर बनती है। इसमें राज्यसभा एक स्थायी सदन होता है, जो कभी भंग नहीं होता है।

### संवैधानिक प्रावधान

भारत में द्विसदनीय शासन प्रणाली का आरम्भ भारत शासन अधिनियम 1919 (माण्टेस्क्यू-चेम्सफोर्ड अधिनियम) से हुआ है। इस अधिनियम के द्वारा संसदीय शासन व्यवस्था में उच्च सदन के रूप में काउन्सिल ऑफ स्टेट्स का सृजन किया गया, जो वस्तुतः वर्ष 1921 में पहली बार अस्तित्व में आया। गवर्नर जनरल को इस सदन का पदेन अध्यक्ष बनाया गया। भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा इस व्यवस्था में कोई परिवर्तन नहीं किया गया। स्वतंत्रता के पश्चात संविधान सभा के निर्णय के

अनुसार राज्यसभा का गठन 3 अप्रैल, 1952 को किया गया एवं इसकी प्रथम बैठक 13 मई, 1952 को हुई।

### राज्यसभा का स्वरूप

संविधान के अनुच्छेद-80 में राज्यसभा के गठन की चर्चा की गई है। इसके अनुसार राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 निर्धारित की गई है, जिसमें 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा नामित किये जाते हैं और 238 सदस्य राज्यों के और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधि होते हैं। तथापि, राज्यसभा के सदस्यों की वर्तमान संख्या 245 है, जिसमें से 233 सदस्य राज्यों और संघ राज्यक्षेत्र दिल्ली तथा पुदुचेरी के प्रतिनिधि हैं। राष्ट्रपति द्वारा नामित सदस्य साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा से जुड़े व्यक्ति होते हैं।

### पात्रता अर्हताएं

संविधान के अनुच्छेद-84 में संसद की सदस्यता के लिए अर्हताएं निर्धारित की गई हैं। राज्यसभा की सदस्यता के लिए अर्ह होने के लिए किसी व्यक्ति के पास निम्नलिखित अर्हताएं होनी चाहिए—

1. उसे भारत का नागरिक होना चाहिए और निर्वाचन आयोग द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी व्यक्ति के समक्ष तीसरी अनुसूची में इस प्रयोजन के लिए दिए गये प्रारूप के अनुसार शपथ लेना चाहिए या प्रतिज्ञान करना चाहिए और उस पर अपने हस्ताक्षर करने चाहिए।
2. उसे कम-से-कम तीस वर्ष की आयु का होना चाहिए।
3. उसके पास ऐसी अन्य अर्हताएं होनी चाहिए, जो संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि द्वारा या उसके अधीन इस निमित्त विहित की जाएं।

### निरर्हताएं

संविधान के अनुच्छेद-102 में यह निर्धारित किया गया है कि कोई व्यक्ति संसद के किसी सदन का सदस्य चुने जाने के लिए और सदस्य होने के लिए निरर्हित होगा।

1. यदि वह भारत सरकार के या किसी राज्य की सरकार के अधीन, ऐसे पद को छोड़कर, जिसको धारण करने वाले का निरर्हित न होना संसद के विधि द्वारा घोषित किया है, कोई लाभ का पद धारण करता है।
2. यदि वह विकृतचित है और सक्षम न्यायालय की ऐसी घोषणा विद्यमान है।
3. यदि वह अनुन्मोचित दिवालिया है।
4. यदि वह भारत का नागरिक नहीं है या उसने किसी विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से

अर्जित कर ली है या वह किसी विदेशी राज्य के प्रति निष्ठा या अनुषंक्ति को अभिस्वीकार किये हुए है।

5. यदि वह संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि द्वारा या उसके अधीन इस प्रकार निर्हित कर दिया जाता है।

### निर्वाचन / नामनिर्देशन की प्रक्रिया निर्वाचक मण्डल

राज्यसभा में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधियों का निर्वाचन अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति द्वारा किया जाता है। प्रत्येक राज्य तथा दो संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधियों का निर्वाचन उस राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों तथा उस संघ राज्य क्षेत्र के निर्वाचक मण्डल के सदस्यों, जैसा भी मामला हो, द्वारा एकल संक्रमणीय मत द्वारा आनुपालिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार किया जाता है। दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के निर्वाचक मण्डल में पुदुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य शामिल हैं।

### द्वि-वार्षिक / उप-चुनाव

राज्यसभा एक स्थायी सदन है और यह भंग नहीं होता। तथापि, प्रत्येक दो वर्ष बाद राज्यसभा के एक-तिहाई सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं। पूर्णकालिक अवधि के लिए निर्वाचित सदस्य छह वर्षों की अवधि के लिए कार्य करता है। किसी सदस्य के कार्यकाल की समाप्ति पर सेवानिवृत्ति को छोड़कर अन्यथा उत्पन्न हुई रिक्ति को भरने के लिए कराया गया निर्वाचन 'उप-चुनाव' कहलाता है।

### राज्यसभा के पदाधिकारी

सभापति राज्यसभा का पीठासीन अधिकारी सभापति कहलाता है। देश का उप-राष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, लेकिन जब उप-राष्ट्रपति, राष्ट्रपति के रूप में काम करता है, तो वह राज्यसभा के सभापति के रूप में काम नहीं करता है। सभापति को तब ही पद से हटाया जा सकता है, जब उसे उप-राष्ट्रपति पद से हटा दिया जाये।

उप-सभापति राज्यसभा अपने सदस्यों में से किसी को उप-सभापति चुनती है, जो सभापति की अनुपस्थिति में उसके कार्यों का निर्वहन करता है। जब उप-सभापति का पद रिक्त होता है, तब राज्यसभा किसी अन्य सदस्य को अपना उप-सभापति चुनती है।

महासचिव इसकी नियुक्ति सभापति के द्वारा की जाती है। वह सिविल सेवा का अधिकारी होता है। यह राज्यसभा सचिवालय का प्रशासनिक प्रमुख एवं सभा के अभिलेखों का संरक्षक होता है।

## राज्यसभा चुनावों पर विवादों की छाया

संविधान सभा में प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉ भीमराव ने बहस के दौरान स्पष्ट किया था कि राज्यसभा के सदस्य चुने जाने के लिए उमीदवार को उसी राज्य का निवासी होना आवश्यक होना चाहिए, क्योंकि बाहरी लोग भी दूसरे राज्यों में जाकर राज्यसभा का चुनाव जीतकर सांसद बन जायेंगे और इससे राजनीय नेताओं में असन्तोष व्याप्त हो जायेगा। इस मत का विरोध करने वाले सुप्रीम कोर्ट गये।

सर्वोच्च न्यायालय ने इस तर्क को नहीं माना तथा किसी भी भारतीय नागरिक को किसी राज्य से चुनाव लड़ने की बात कही। राज्यसभा चुनाव के सम्बन्ध में एक अन्य विवाद विधायकों द्वारा क्रॉस वोटिंग की रही है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा वर्ष 2006 में दिए गये निर्णय के अनुसार राज्यसभा चुनावों में 10वीं अनुसूची तथा दलबदल विरोधी कानून के प्रावधान लागू नहीं होते, जिस वजह से राजनीतिक दल विधायकों पर कानूनी 'डिप' नहीं जारी कर सकते हैं। इस वजह से मार्च, 2016 में असम मे भाजपा और बोडो पीपुल्स फ्रण्ट के विधायक की क्रॉस वोटिंग के कारण कांग्रेस ने राज्यसभा की दोनों सीट जीत ली थी।

## राज्यसभा के नेता

सभापति और उप-सभापति के अलावा, सभा का नेता एक अन्य ऐसा अधिकारी है, जो सभा कुशल और सुचारू संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। राज्यसभा में सभा का नेता सामान्यतया प्रधानमंत्री होता है, यदि वह इसका सदस्य है, अथवा कोई ऐसा मन्त्री होता है, जो इस सभा का सदस्य है और जिसे उनके द्वारा इस रूप में कार्य करने के लिए नाम-निर्दिष्ट किया गया हो। उसका प्राथमिक उत्तरदायित्व सभा में सौहार्दपूर्ण और सार्थक वाद-विवाद के लिए सभा के सभी वर्गों के बीच समन्वय बनाये रखना है।

## विपक्ष के नेता

विधायिका में विपक्ष के नेता के पद का अत्यधिक सार्वजनिक महत्व है। इसका महत्व संसदीय लोकतन्त्र में विपक्ष को दी गई मुख्य भूमिका से उद्भुत होता है। विपक्ष के नेता का कार्य वस्तुतः अत्यधिक कठिन है, क्योंकि उन्हें आलोचना करनी पड़ती है, गलती इंगित करनी पड़ती है और ऐसे वैकल्पिक प्रस्तावों/नीतियों को प्रस्तुत करना पड़ता है जिन्हें लागू करने का उन्हें कोई अधिकार नहीं है। इस प्रकार उन्हें सांसद और देश के प्रति एक विशेष सामाजिक जिम्मेदारी निभानी होती है।

राज्यसभा में वर्ष 1969 तक वास्तविक अर्थ में विपक्ष का कोई नेता नहीं होता था। उस समय तक सर्वाधिक सदस्यों वाली विपक्षी पार्टी के नेता को बिना किसी औपचारिक मान्यता, दर्जा या विशेषाधिकार



दिए विपक्षी नेता मानने की प्रथा थी। विपक्ष के नेता के पद को संसद में विपक्षी नेता वेतन और भत्ता अधिनियम, 1977 द्वारा औपचारिक मान्यता प्रदान की गई। इस अधिनियम के द्वारा राज्यसभा में विपक्षी नेता, राज्यसभा का एक ऐसा सदस्य होता है, जो कुछ समय के लिए राज्यसभा के सभापति द्वारा यथा मान्य सबसे अधिक सदस्यों वाले दल की सरकार के विपक्ष में होता है।

इस प्रकार विपक्ष के नेता को तीन शर्तें पूरा करनी होती हैं, नामशः (i) उसे सभा का सदस्य होना चाहिए; (ii) सर्वाधिक सदस्यों वाले दल की सरकार के विपक्ष में राज्यसभा का नेता होना चाहिए और (iii) इस आशय से राज्यसभा के सभापति द्वारा उसे मान्यता प्राप्त होनी चाहिए।

## References

Pylee, M.V. (1997). India's Constitution. S. Chand & Co. p. 3.

Das, Hari (2002). Political System of India. Anmol Publications. p. 120

Swaminathan, Shivprasad (26 January 2013). "India's benign constitutional revolution". The Hindu: opinion. Retrieved 18 February 2013.

PM Modi greets people on Constitution Day, DNA India, 26 November 2015

Miglani, Dr. Deepak. "Constitution of India: A 'Bag of Borrowings'". Retrieved 15 February 2014

Baruah, Aparijita (2007). Preamble of the Constitution of India: An Insight and Comparison with Other Constitutions. New Delhi: Deep & Deep. p. 177

Austin, Granville (1999). The Indian Constitution: Cornerstone of a Nation (2nd ed.). Oxford University Press

Baruah, Aparajita (2007). Preamble of the Constitution of India : An Insight & Comparison. Eastern Book Co. ISBN 978-81-7629-996-1.

Ghosh, Pratap Kumar (1966). The Constitution of India: How it Has Been Framed. World Press.

Sharma, Dinesh; Singh, Jaya; Maganathan, R.; et al. (2002). Indian Constitution at Work. Political Science, Class XI. NCERT.

Menon, N.R. Madhava (26 September 2004). "Parliament and the Judiciary". The Hindu. Retrieved 21 November 2015

Krishnakumar, R. "Article 356 should be abolished". Frontline (Vol. 15 :: No. 14 :: 4–17 July 1998). Retrieved 9 November 2015



"National Commission to Review the Working of the Article 356 of the constitution". Lawmin.nic.in. Retrieved 23 August 2016.

Swami, Praveen. "Protecting secularism and federal fair play". Frontline (Vol. 14 :: No. 22 :: 1–14 Nov. 1997). Retrieved 9 November 2015.

M. Lakshmikanth, Indian Polity for Civil Services Examinations, 3rd ed., (New Delhi: Tata McGraw Hill Education Private Limited, 2011), p. 2.3

Parliament, Indian. "Some facts about the Constitutive Assembly". Retrieved 15 June 2011.